20.12.19 उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.12.19 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26.12.19 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 9.1.20 को पेश हो।

9.1.20 उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.1.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30.1.20 उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.2.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7.2.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षीगण अधिवक्ता जवाब हेतु समय चाहते हैं जवाब हेतु समय दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पत्रावली में विपक्षीगण के जवाब/ बहस हेतु नियत दिनांक 14.2.20 को पेश हो।

14.2.20 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। दि 11.2.20 को अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसे शा.प. किया गया। 27.2.20

27.2.20 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 5.3.20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील अप्रार्थीगण की ओर से जमाबंदी संवत 2070 से 2073 तक की पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, उभय पक्षो ने बहस करनी चाही, उभयपक्षो की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी संख्या 38, 39, 47, 48 भूमि ग्राम भैंके खेड़ा, पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी संख्या 50, 51 कुल किता 02 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा भूमि मेसे पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा मे प्रार्थीगण की आराजी सं. 48 तक 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जबकि वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन मे प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का-अधिनियम स्वीकार योग्य है, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम भैंकखेड़ा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल जिला- भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 38, 39, 47, 48 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नं. 50 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नं. 51 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षीगण 01 लगायत 04 की भूमि के पश्चिम मेड़ के सहारे-सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा मे होते हुए प्रार्थीगण की आराजी नं. 48 तक रास्ता दिया जाता है। चारागाह मे स्थित रास्ता जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है परन्तु मौके पर रास्ते के रूप मे विधमान है जो प्रचलित रास्ता होने से चारागाह के रूप मे ही राजस्व रेकार्ड मे यथावत रखा जावे। 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे ओर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालनार्थ निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 12:42:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: